

अनुमति
हस्ताक्षर
में जारी है

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

08/06/22

पञ्जावली गौड कॉलेज शिविर - २. क.
निरीक्षक मुख्यालय नगर पेशा डूँडा लक्ष्मी
गुडामालानी के रिपोर्ट ली गयी तथा
सम्बन्धी काम जानकारी ली गयी। आदेश
केलक के विवादा जाकर खुले न्यायालय
रुकाया गया। पञ्जावली निर्णय हुकम
द्वारा अखिल इतर है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
संस्थापित समिति गुडामालानी/आडेल



श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) महोदय ,

गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रार्थी :-

1. नेनाराम पुत्र जगमालराम उम्र 40 वर्ष
जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी
2. बाबू पुत्र जगमाल उम्र 55 वर्ष
3. राजू पुत्र जगमाल उम्र 45 वर्ष
4. लाधू पुत्र जगमाल उम्र 52 वर्ष
5. हेमा पुत्र जगमाल उम्र 48 वर्ष
6. सुवटी पत्नि जगमाल उम्र 80 वर्ष
7. गोमती पुत्री जगमाल उम्र 40 वर्ष
8. लाली पुत्री जगमाल उम्र 46 वर्ष
9. शान्ति पुत्री जगमाल उम्र 53 वर्ष
10. जोधा पुत्र ठाकरा उम्र 90 वर्ष
11. धना ठाकरा उम्र 80 वर्ष
12. नारायण पुत्र ठाकरा उम्र 70 वर्ष

जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 आर एल एक्ट

महोदयजी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्नानुसार है-

- 1- कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की सयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम देशान्तरी नाडी के खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 14-4068 हैक्टर , व ग्राम सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 272, रकबा 0-0324, खसरा नम्बर 273/1 रकबा

1-5135, खसरा नम्बर 273/3 रकबा 8-7493 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। जि
खसरा नं 7/2 रकबा 6.584

चालू जमाबन्दी सलग्न है।

- 2- कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सख्या 2 से 9 के पिता व पति जगमालराम के नाम राजस्व रेड में दर्ज थी तथा जगमाल के फौत होने पर 2 से 9 के नाम से राजस्व रेक में अकिंत हुई परन्तु जगमाल के फौतगी का नामान्तरण में प्रार्थी का वास्तविक नाम नैनाराम अकिंत नही कर उसके स्थान पर बिना जांच किये रामलाल अकिंत कर दिया जा गलत है क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र जगमालराम है तथा इनके नाम से आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी जॉब कार्ड तथा जन आधार कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजों में नाम नैनाराम पुत्र जगमालराम लिखा हुआ है, तथा मेरे गांव पडौस व मेरे सभी रिस्तेदारों में मुझे नैनाराम पुत्र जगमालराम के नाम से पुकारते हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय ऋटि से भूलवंश नाम नैनाराम के स्थान पर रामलाल लिख दिया है। जो गलत है।
- 3- कि प्रार्थीगण को अपने नाम की गलत इन्द्राज होने से हर प्रकार की सार्वजनिक व सरकारी योजनाओं के वचित रहना पडता है तथा ऋण इत्यादि लेने में समस्या आती है तथा हर जगह बार शपथ पत्र बनाना पेश करना पडता है इसलिये यह नाम दुरस्ती का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय में पेश करना पडा।
- 4- कि प्रार्थी का नाम राजस्व इन्द्राज में गलत दर्ज होने का ज्ञान होने पर राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो से सही नाम दुरस्ती का निवेदन किया लेकिन सभी ने कहा कि न्यायालय आदेश से नाम दुरस्ती करावे तभी श्रीमान के न्यायालय में यह नाम दुरस्ती का आवेदन पेश है।
- 5- कि प्रार्थी नैनाराम पुत्र जगमाल व गलत इन्द्राज रामलाल पुत्र जगमालराम दोनों नाम का मैं एक ही व्यक्ति हूँ तथा हमारे गांव में नैनाराम पुत्र जगमालराम के नाम का कोई व्यक्ति नही है।
- 6- कि प्रार्थी का उक्त खसरा ग्राम देशान्तरी नाडी व सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी तहसील गुंडामालानी में होने से श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवाणधिकार का है।
- 7- कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 का होने से न्याय शुल्क 2 रु मुद्रांक पेश है।

अतः श्रीमानजी के समक्ष नाम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम देशान्तरी नाडी के खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 14-4068 हैक्टयर, व ग्राम सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0-0324, खसरा नम्बर 273/1 रकबा 1-5135, खसरा नम्बर 273/3 रकबा 8-7493 हैक्टयर में रामलाल पुत्र जगमालराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र जगमालराम का नाम दुरस्ती करने का आदेश फरमावे।

दिनांक 10/9/21

